फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, उदयपुर

श्री लालचन्द बनाम विपक्षी : श्री सुरेशपुरी व अन्य

मुकदमा – 47 नियम 1 सिविल प्रक्रिया सहिता पत्रावली संख्या : 45/23

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 28.10.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। विपक्षी संख्या 2, 3 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अत: विपक्षी संख्या 2, 3 के अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 2, 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। प्रकरण में अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जा.दी. पर जवाब पेश नहीं किया गया। जवाब का अवसर बंद किया जाता है। न्यायहित में प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जा.दी. का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र 151 जा.दी. उचित नहीं पाये जाने से खारिज किया जाता है। विपक्षी संख्या 4 का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण में बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी व विपक्षी संख्या 2 से 4 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् विपक्षी संख्या 1 की आराजी न. 493 में जाने के रास्ते हेतु पेश किया जिसमें निवेदन किया गया कि आम रास्ता प्रार्थी/विपक्षी लालचन्द के खेत आराजी न. 492 के पूर्व दिशा है लेकिन रास्ते के उतरी कोने से लालचन्द के खेत के कोने से होकर 493 में प्रवेश हेतु रास्ते का अनुतोष चाहा। यह कि प्रार्थी/ विपक्षी संख्या 1 लालचन्द को दिनांक 13.06.2022 की पेशी का नोटिस मिला जिस पर वह न्यायालय में उपस्थित हुआ तो पता चला कि पीठासीन अधिकारी जी भ्रमण पर है और आगे पेशीयां दी गई। इस तरह तीन पेशीया बराबर अधिकारी जी के भ्रमण की छाप लगाकर बदली गई और बताया गया कि मौके पर पटवारी आयेगा और सूचना देगा जो भी उजर हो मौके पर कह देना। यह कि प्रार्थी/विपक्षी संख्या 1 द्वारा जानबूझ कर गलती नहीं की गई है सद्भाविक चूक हुई है तथा जो पर्चा मौका बिना प्राकृतिक सिद्धान्तों की पालना करते हुए गुप्त–चुप तरीके से बिना सूचना, बिना सुने बनाया है और उसके आधार पर अस्पष्ट आदेश पारित हुआ है जिससे प्रार्थी दुखी एवं पीडित है और ये त्रुटि ऐपेरेन्ट ऑन द फेस द रेकर्ड है। अतः प्रार्थी द्वारा रिव्यु प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को सुना जाकर गुणानगुण के आधार पर निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में अधिवक्ता विपक्षी द्वारा विपक्षी संख्या 1 की तरफ से जवाब पेश नहीं किया गया। विपक्षी संख्या 2, 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

प्रकरण व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से पाया कि विपक्षी संख्या 1 श्री सुरेशपुरी द्वारा प्रार्थी व अन्य के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान

सहायक कलक्टर
भीण्डर

काश्तकारी अधिनियम का पेश कर मौजा खेरोदा पटवार हल्का खेरोदा
की आराजी न. 493 में आने जाने हेतु प्रार्थी/विपक्षी की आराजी न 492
गया था जो प्रकरण न्यायालय हाजा में प्रकरण संख्या 21/22 अनवान
लालचन्द व अन्य के तहत दर्ज किया गया। उक्त प्रकरण में दिनांक
विपक्षीगण के सम्मन तामिल हो चुके थे। विपक्षीगण अनुपस्थित रहे। दिनांक
को प्रकरण स्वीकार कर रास्ता दिये जाने के आदेश पारित हुये। प्रार्थी द्वारा
पत्र पेश कर प्रकरण को गुणानगुण के आधार पर निर्णय पारित किये जाने
किया। प्रार्थी को प्रकरण की जानकारी होने के बाद भी न्यायालय में उपस्थित
प्रार्थी की लापरवाही का द्योतक है। प्रकरण प्रार्थी की कृषि भूमि से संबंधित
प्रार्थी का हित निहित है जिससे प्रार्थी को सुना जाना आवश्यक है। अतः
प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—:: आदेश ::—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 47 नियम 1 सपठित
सिविल प्रक्रिया सहिता का न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मूल प्रार्थना
संख्या 21/22 अनवान सुरेशपुरी बनाम लालचन्द व अन्य में आदेश दिनांक
को अपास्त किया जाकर मूल प्रार्थना पत्र को पुनः नम्बर पर लिया जाकर
सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली
शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश चन्द्र बहेडिया RAS)
सहायक कलक्टर
बाण्डर

सहायक कलक्टर
बाण्डर